



2026:AHC-:26179-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 20877 / 2025

दशरथ यादव व 3 अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अजीत शुक्ला
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	जी.ए., सुनील विशाल सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत शुक्ला ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस याचिका को नहीं करना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
2. उपरोक्त बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
3. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, तो वह समाप्त माना जाएगा।

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

फरवरी 5, 2026

केयू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"